न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 107 / 2023
GCMS CASE NO-2023/107

सुन्दरलाल पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट साकिन चक 24 एसडी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

––प्रार्थी

बनाम

1. कृष्णलाल
2. पृथ्वीराज
3. मंसाराम

} पिसरान श्री धर्मपाल जाति जाट निवासीयान चक 24 एसडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिए पैरोकार राज

––अप्रार्थी

उपस्थितिः–
1. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री बलदेव बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी 1 ता 3
2. राजपैरोकार तहसीलदार सूरतगढ, अप्रार्थी संख्या 4

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 11–14 राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954

निर्णय

दिनांक 09.09.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है। चक 24 एसडी तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 76 की खाता संख्या 8 नई 64 पुरानी में प.न. 156/423 मु.न. 44 कि.न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2,3/1,3/2,8ता25 की कुल 5.313 है0 (अ.क. 2.455, खाला 0.075 व कमांड 2.783) खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से अंकित है।चक 24 एसडी के प.न. 156/423 के कि.न. 1ता25 की भूमि कमालदीन पुत्र खुदाबक्स कौम मुसलमान साकिन कमरानी भूमिहीन पुख्ता आवंटन अंकित थी। डीसीसी सूरतगढ के आदेश कमांक 6627 दिनांक 25.9.1982 को किश्तों के अभाव में कमालदीन पुत्र खुदाबक्श मुसलमान साकिन कमरानी का आवंटन शुदा रकबा चक 24 एसडी का मु.न. 156/423 का कि.न. 1 ता 25 दिनांक 20.9.1982 को खारिज कर दिया गया। उसके बाद डीसीसी के आदेश दिनांक 30.01.1984 के अनुसार सतीराम पुत्र श्री गंगाराम कौम नायक साकिन मानकखेडा को जी श्रेणी में चक 24 एसडी के मु.न. 156/423 में कि.न.. 1ता3, 8ता25 की 21 बीघा कमांड पुख्ता आवंटन किया गया। चक 24 एसडी के मु.न. 156/423 में कि.न.. 1ता3, 8ता25 की 21 बीघा कमांड पुख्ता आवंटन भूमि हरिन व्यक्ति को आवंटन हुई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य व्यक्ति को आवंटन कर दी गई जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 41 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः चक 24 एसडी तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 76 की खाता संख्या 8 नई 64 पुरानी में प.न. 156/423 मु.न. 44 कि.न. 1/1, 1/2, ~~2/1, 2/2~~,3/1,3/2,8ता25 की कुल 5.313 है0 (अ.क. 2.455, खाला 0.075 व कमांड 2.783) खातेदारी कृषि भूमि को रकबा राज दर्ज किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला–श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी के प्रा.पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 24 एसडी तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 76 की खाता संख्या 8 नई 64 पुरानी में प.न. 156/423 मु.न. 44 कि.न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2,3/1,3/2,8 ता 25 की कुल 5.313 है0 (अ.क. 2.455, खाला 0.075 व कमांड 2.783) खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से अंकित है। चक 24 एसडी के प.न. 156/423 के कि.न. 1ता25 की भूमि कमालदीन पुत्र खुदाबक्स कौम मुसलमान साकिन कमरानी भूमिहीन पुख्ता आवंटन अंकित थी। डीसीसी सूरतगढ के आदेश कमांक 6627 दिनांक 25.9.1982 को किश्तों के अभाव में कमालदीन पुत्र खुदाबक्श मुसलमान साकिन कमरानी का आवंटन शुदा रकबा चक 24 एसडी का मु.न. 156/423 का कि.न. 1 ता 25 दिनांक 20.9.1982 को खारिज कर दिया गया। उसके बाद डीसीसी के आदेश दिनांक 30.01.1984 के अनुसार सतीराम पुत्र श्री गंगाराम कौम नायक साकिन मानकखेडा को जी श्रेणी में चक 24 एसडी के मु.न. 156/423 में कि.न.. 1ता3, 8ता25 की 21 बीघा कमांड पुख्ता आवंटन किया गया। चक 24 एसडी के मु.न. 156/423 में कि.न.. 1ता3, 8ता25 की 21 बीघा कमांड पुख्ता आवंटन भूमि हरिजन व्यक्ति को आवंटन हुई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य व्यक्ति को आवंटन कर दी गई जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 41 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः चक 24 एसडी तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 76 की खाता संख्या 8 नई 64 पुरानी में प.न. 156/423 मु.न. 44 कि.न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2,3/1,3/2,8 ता 25 की कुल 5.313 है0 (अ.क. 2.455, खाला 0.075 व कमांड 2.783) खातेदारी कृषि भूमि को रकबा राज दर्ज किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा झूठे एवं मनगढंत तथ्य दर्ज करवाए गए है। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये बैयनामा सुखविन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह, पुत्र मलकीत सिंह से खरीद की है। अप्रार्थीगण किसी सतीराम पुत्र गंगाराम को नहीं जानते है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21.05.2024 को उक्त भूमि मूल आवंटी कमालदीन पुत्र खुदाबक्श के वारिसों द्वारा सावित्री बेवा राजाराम को बैचान की , सावित्री बेवा राजाराम द्वारा स्वर्णसिंह वगै0 को बेचान की, स्वर्णसिंह वगै0 उक्त भूमि सुखविन्द्र वगै0 को बैचान की, उसके बाद अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा सुखविन्द्र सिंह वगै0 से खरीद की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 41 का उल्लंघन तब होता जब अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से खरीद की गई होती, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि स्वर्ण जाति से ही खरीद की गई है। चक 24 एसडी के प.न. 156/423 मु.न. 44 की 5.313 है0 भूमि अप्रार्थीगण द्वारा जरिये बैयनामा को खरीद की गई है। अप्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र की नकल प्राप्त करने के बाद पता चला की उक्त भूमि चक 24 एसडी के प.न. 156/423 की 25.00 बीघा भूमि दिनांक 30.01. 1976 को मिसल संख्या 353 से कमालदीन वल्द खुदाबक्श को आवंटन हुई, उसके बाद यह जमीन दिनांक 20.09.1982 को किस्तो के अभाव मे खारिज हुई उसके बाद यह भूमि डीसीसी के आदेश दिनांक 30.01.1984 को सतीराम पुत्र श्री गंगाराम कौम नायक साकिन मानकखेडा को जी श्रेणी में आवंटन हुई। जिसके बाद मूल आवंटी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के यहां अपील संख्या 559/1991, 29/1992 अपील पेश की जिसके निर्णय दिनांक 26.06.1992 को आंशिक स्वीकार कर नये सिरे से जांच कर अपील रिमांड की गई। इसके खिलाफ सहीराम ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसको मण्डल ने राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय 26.06.1992 को यथावत रखा एवं रिमांड प्रकरण संख्या 99/1997 उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के यहां दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

हुआ। माननीय न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनते हुए दिनांक 16.5.2000 को सहीराम पुत्र गंगाराम के आवंटन को निरस्त कर दिया एवं आवंटिती कमालदीन पुत्र खुदाबक्श का रकबा बहाल कर समस्त बकाया किश्ते जमा करवाई जाकर बहाली का अमलदरामद करने का आदेश दिया गया। भूमि का इंतकाल संख्या 76 दिनांक 3.10.2000 को कमालदीन के नाम पुख्ता आवंटन दर्ज हुआ एवं सनद संख्या 0011 दिनांक 17.03.2001 कि पालना में खातेदारी का इंतकाल दर्ज हुआ है। उसके बाद कमालदीन के वारिसों द्वारा उक्त भूमि बैचान की गई है। प्रार्थी द्वारा बेवजह परेशान करने के लिए यह शिकायत पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र झूठे एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। शिकायत कर्ता का यह कथन कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य व्यक्ति को आवंटन कर दी गई है दस्तावेजी साक्ष्य से कतई साबित नहीं होता है क्योंकि चक 24 एसडी के प.न. 156/423 की 25.00 बीघा भूमि दिनांक 30.01.1976 को मिसल संख्या 353 से कमालदीन वल्द खुदाबक्श को आवंटन हुई, उसके बाद यह जमीन दिनांक 20.09.1982 को किस्तो के अभाव मे खारिज हुई तत्पश्चात यह भूमि डीसीसी के आदेश दिनांक 30.01.1984 को सतीराम पुत्र श्री गंगाराम कौम नायक साकिन मानकखेडा को जी श्रेणी में आवंटन हुई। जिसके बाद मूल आवंटी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के यहां अपील संख्या 559/1991, 29/1992 अपील पेश की जिसके निर्णय दिनांक 26.06.1992 को आंशिक स्वीकार कर नये सिरे से जांच कर अपील रिमांड की गई। इसके खिलाफ सहीराम ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसको मण्डल ने राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय 26.06.1992 को यथावत रखा एवं रिमांड प्रकरण संख्या 99/1997 उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के यहां दर्ज हुआ। न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनते हुए दिनांक 16.5.2000 को सहीराम पुत्र गंगाराम के आवंटन को निरस्त कर दिया एवं आवंटिती कमालदीन पुत्र खुदाबक्श का रकबा बहाल कर दिया गया। अतः प्रार्थी का यह कथन कतई साबित नहीं होता कि अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 41 का उल्लंघन किया है। अतः प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 11–14 राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 11–14 राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया करवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला-श्री गंगानगर)
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.09.20 16:15:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner